न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क्र. /2014/पुनरीक्षण

मीना पत्नी रामसेवक कुशवाह निवासी दोहर तहसील इंदरगढ जिला दतिया (म0प्र0)

—— आवेदक

विरूद्ध

अतर सिंह पुत्र श्री माधौ सिंह यादव निवासी मलौआ जिला दतिया ।

—— अनावेदक

न्यायालय नायव तहसीलदार इन्दरगढ जिला दतिया के प्रकरण क्र.13/अ. 6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2014 से दुखित होकर भू.राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है

माननीय महोदय,

आवेदिका का निवेदन निम्नानुसार है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार इन्दरगढ द्वारा पारित समस्त कार्यवाही एवं आदेश एवं आदेश पत्रिकाऐं अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) यहकि, आवेदिका द्वारा विवादित भूमि सर्वे कमांक 710 एवं 561 के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय सेवढा के समक्ष उसके प्रकरण कमांक 76ए/10 प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में लंबित है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 27.06.2014 नियत है । जिसमें माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2010 को विवादित भूमि के विक्रय करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने पर स्थगन आदेश प्रदान किया था किन्तु उसके बावजूद अनावेदक द्वारा विवादित भूमि विक्रय कर दी गई जो स्पष्टतः विधि विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है । इस वैधानिक स्थिति के बाद भी अनावेदक विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण का प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थिया द्वारा नामांतरण रोके जाने हेतु दिनांक 25.03.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण न किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पर तर्क हेतु फिक्स कर दिया गया जबकि व्यवहार न्यायालय के आदेश के मुताबिक सीधे–सीधे नामांतरण प्रक्रिया को रोकना चाहिये था । इसलिए तहसीलदार की कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0–1809/दो/15 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश मीना/अतर सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री के0के0 द्विवेदी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा एवं श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित । प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ताओं को प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो के आधार पर निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रकरण में नायव तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के अहित कोने की सम्भावना हो । अभी प्रकरण विचारण न्यायालय में स्थगन आवेदन पर तर्क हेतु नियत होकर अनावेदक गण को सूचना पत्र जारी किए जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गय है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तकों के संदर्भ में मेरे द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक–13.6.14 का अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है, कि विचारण न्यायालय नायव तहसीलदार द्वारा अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे किसी भी पक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की वर्तमान में संभावना हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित एवं पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो । सदस्य	1